		महिला छात्रावास का निर्माण कार्य				
5	पिथौरागढ़	कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण कार्य?	417.49	208.75	187.88	20.88
6	चम्पावत	कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण कार्य	390.28	195.14	175.63	19.51
	कुल		2176.21	1088.13	979.32	108.81

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये-नजर रखते हुए एवं ब्रिडकुल द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तदायित्व निदेशक का होगा।

(7) समस्त प्राविधानों पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य कर लिया जाए।

(8) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विलम्ब के कारण आंगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाए। कार्य को

I/281507/2025

संख्या – /XVII(4)/2024-5(08)/21-(E-74168)

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांकः /Cमार्च, 2025

विषयः–निर्भया फण्ड योजनान्तर्गत 06 कार्यशील महिला छात्रावासों के नवीन भवनों के निर्माण कार्य हेतु धनावंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1055/20/WWH/NF/2024-25दिनांक 04 फरवरी 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागान्तर्गत निर्भया फण्ड योजनान्तर्गत निम्न तालिकानुसार 06 कार्यशील महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा गठित आंगणनों को विभाग स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण कुल धनराशि रू0 2176.21 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष तालिका के क्रमांक–6 के अनुसार 90 प्रति0केन्द्रांश एवं क्रमांक–7 के अनुसार 10 प्रतिशत राज्यांश इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1088.13 लाख (रू0 दस करोड़ अठ्ठासी लाख तेरह हजार मात्र) को शासनादेश दिनांक–09.04.2024 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	टी0ए0सी0 उपरान्त औचित्यपूर्ण आगणन धनराशि (रू0 लाख में)	अवमुक्त किये जाने हेतु प्रथम किश्त की कुल धनराशि (रू0 लाख में)	आगणन धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि	आगणन धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रूद्रप्रयाग	कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण कार्य	372.31	186.16	167.54	18.62
2	पौड़ी	कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण कार्य	360.05	180.03	162.03	18.00
3	टिहरी	कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण कार्य	357.03	178.52	160.67	17.85
4	हरिद्वार	भगवानपुर में कार्यशील	279.05	139.53	125.58	13.95

2-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 4235-02-103-01-02 एवं 4235-02-103-95-02 के मानक मद-14 केन्द्रपोषित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण में प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

3-यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक-281049/2025 दिनांक 07.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Chandresh Kumar Yadav
Date: 10-03-2025 15:32:59

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

7/285507/2025

संख्या- (1)/XVII(4)/2025-5(08)/21-(E-74168) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून।
4. वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त-1 एवं 3 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चैकिंग की व्यवस्था की जाए, जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सैन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

(10) आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV219(2006). दिनांक 30.05.2006 एवं शासनादेश संख्या–96873 / XXVII(7) / E-47511 / 2022. दिनांक 07.02.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यदि वर्तमान में स्वीकृत धनराशि को विभाग अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में रखा जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज को यथासमय राजकोष / कोषागार की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन / मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाइन / मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जाए।

(13) उपरोक्त प्रयोजन कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की आख्या, फोटोग्राफ एवं अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, म0स0 एवं बा0वि0 विभाग एवं कार्यदायी संस्था के परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा। उसके उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(14) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृत आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(15) शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(16) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जिन कार्यों के लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(17) अग्रिम किश्त को उसी दशा में अवमुक्त किया जायेगा, जब वर्तमान अवमुक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) उक्त की स्वीकृत पृथक से न देते हुए निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के नियर्तन पर रखी गई धनराशि से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।